

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/3910

जयपुर, दिनांक 18/10/16

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम - चैकलिस्टों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3482 दिनांक 08.09.2016 एवं पत्र क्रमांक 3681 दिनांक 27.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 3482 दिनांक 08.09.2016 के द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2017 के क्रम में तैयार की जाने वाली प्रारूप मतदाता सूची के मुद्रण के कार्य को रोका गया है।

चूँकि विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 3681 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा प्रारूप प्रकाशन हेतु मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रिन्ट आउट के मुद्रण के कार्य को रोका गया था किन्तु इन निर्देशों में विभाग द्वारा चैकलिस्टों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार इन्हें आदिनांक करने के कार्य को नहीं रोका गया था फिर भी कई जिलों में चैकलिस्टों की त्रुटियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा ठीक नहीं कराया गया है।

मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के पश्चात् सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी भागों के नम्बर एवं मतदाता क्रमांक परिवर्तित होना सम्भव है। ऐसी स्थिति में प्रारूप मतदाता सूची-2017 की चैकलिस्टों में अंकित संशोधनों को पुनर्गठित मतदान केन्द्रवार तैयार कर नए डाटाबेस में अपडेट करना काफी कठिन होगा। अतः मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के पश्चात् चैकलिस्टों में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित करावे कि वह अविलम्ब चैकलिस्टों में चिन्हित की गई त्रुटियों को संबंधित अनुबंधित फर्म के माध्यम से या अपने कार्यालय स्तर पर आगामी तीन दिवसों में ठीक कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि पुनर्गठित मतदान केन्द्रों की त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से यह अनुरोध है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें तथा सम्पूर्ण जिले के परिपेक्ष्य में स्वयं या उप जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण-पत्र विभाग को भिजवाने का श्रम करें कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में चिन्हित की गई त्रुटियों को ठीक करवा लिया गया है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(हरिशंकर गोयल)

कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।